न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 143/18

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – 1.घेवरसिंह पुत्र पुरखाराम, जाति जाट
निवासी मण्डासर, नेहरों की नाडी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.गोगाराम 2.केसाराम 3.राहिंगाराम 4.लालाराम
पि.पुरखाराम 5.वनूदेवी पत्नि पुरखाराम
जाति जाट, निवासी मण्डासर, नेहरों की नाडी
6.तहसीलदार चौहटन।

वकील प्रार्थी :– श्री नरेश भादू

निर्णय

दिनांक :– 25.06.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मण्डासर, वर्तमान राजस्व ग्राम धर्मपुरी का खूंटा, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 521, 525, 585/522, 587/522, 588/522, 605/425, 607/425, 668/425 कुल रकबा 135.05 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को स्व. पुरखाराम से विरासत में प्राप्त हुई। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठि करते समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी का नाम घेवरसिंह पुत्र पुरखाराम की जगह घमण्डा पुत्र पुरखा गलत अंकित कर दिया। प्रार्थी का सही नाम घेवरसिंह है। प्रार्थी के भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका आदि में प्रार्थी का नाम घेवरसिंह है। इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त में अंकित प्रार्थी अपना गलत नाम घमण्डा पुत्र पुरखा के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र पुरखाराम दुरस्त करवाना चाहता है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प नेहरों की नाडी में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित हुए। वकील प्रार्थी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों का द्वारा राजीनामा पेश किया गया । राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम दुरस्त किया जावे तो हमें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मण्डासर, वर्तमान राजस्व ग्राम धर्मपुरी का खूंटा में खसरा सं. 521, 525, 585/522, 587/522, 588/522, 605/425, 607/425, 608/425 कुल रकबा 135.05 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को स्व. पुरखाराम से विरासत में प्राप्त हुई। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठि करते समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी का नाम घेवरसिंह पुत्र पुरखाराम की जगह घमण्डा पुत्र पुरखा गलत अंकित कर दिया। प्रार्थी का सही नाम घेवरसिंह है। प्रार्थी के भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका आदि में प्रार्थी का नाम घेवरसिंह है। इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त में अंकित प्रार्थी का गलत नाम घमण्डा पुत्र पुरखा के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र पुरखाराम दुरस्त करना न्यायोचित होगा ।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया मौजा मण्डासर, वर्तमान राजस्व ग्राम धर्मपुरी का खूंटा में खसरा सं. 521, 525, 585/522, 587/522, 588/522, 605/425, 607/425, 608/425 कुल रकबा 135.05 बीघा में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम घमण्डा पुत्र पुरखा पर घेवरसिंह पुत्र पुरखाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प नेहरों की नाडी में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन